कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/140 दिनांकः– 09/11/2023

–:कार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 28/2023 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है। बैठक के दौरान जोन–5 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

एजेण्डा
विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–5 की 20/2023 वीं बैठक दिनांक 25.08.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः– **समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्व–सम्मति से गत बैठक दिनांक 25.08.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 01 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
04.10.2023	जोन–5	बागा	411/2, 411/20	00.15.07 बीघा	शैक्षणिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री तुलछाराम पुत्र श्री गोकलराम, श्रीमती प्रेमलता टाक पत्नी श्री तुलछाराम टाक				
विषयः–	राजस्व ग्राम बागा के खसरा संख्या 411/2, 411/20 रकबा 00.15.07 बीघा में शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट व जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार यू–2 प्रयोजनार्थ आरक्षित है। अतः आवेदित भूमि में शैक्षणिक (Educational Institutions (Universities, Colleges, Integrated Residential Schools with hostel facilites) गतिविधियॉ ही अनुज्ञेय की जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. आवेदक द्वारा जमाबन्दी से अधिक क्षेत्रफल का आवेदन किया गया है जिसके संबंध में परीक्षणोपरांत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नवीन संयुक्त आवेदन के कम में परीक्षण कर तदानुसार आवश्यकता होने पर जोन स्तर पर नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाकर 90/क आदेश के संशोधन की कार्यवाही की जावें। 6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 7. आवेदित भूमि में मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र					

	में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/प्रार्थी द्वारा की जावें। 9. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 02 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
04.10.2023	जोन–5	गेंवा	413	2441.93 व.मी	आवासीय योजना में सडक मार्गाधिकार निर्धारण के संबंध में
आवेदक	गार्ड पत्रावली				
विषयः–	राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 413 रकबा 2441.93 व.मी में प्रस्तावित आवासीय योजना में सडक मार्गाधिकार निर्धारण बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत आवेदित भूमि का सुओ–मोटो के तहत ले–आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही प्रस्तावित होने के दृष्टिगत प्रश्नगत ले–आउट प्लान के सामने सडक मार्गाधिकार 12 मीटर तथा शेष पूर्वानुसार 24 मीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया।**				

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 141-146 **दिनांकः–** 09/11/2023
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन–5), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक (जोन–5), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 28/2023 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त (जोन–5) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
7.	श्री सौरभ गहलोत, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर